न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2020 G.C.M.S. No. 2020/00038 दर्ज दिनांक : 03.03.2020

अपीलार्थिगण:

हरीश पुत्र श्री रामप्रतापजी, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष, निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) जरिये आम मुख्तियार अमित सहु पुत्र डॉ. रामप्रतापजी, जाति जाट, निवासी नई धानमण्डी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) जरिये आममुख्तियार

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर, जिला जालोर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 26.12.2019 प्रकरण संख्या 79/2014 में श्रीमान सहायक कलक्टर, आहोर द्वारा पारित किया गया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री नारायणलाल कुमावत, श्री हीरालाल परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 28.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर के राजस्व प्रकरण संख्या 79/2014 बअनवान सरकार बनाम हरीश में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम बांदनवाड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांदनवाड़ी, तहसील आहोर के खसरा नंबर 516/744 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम के संबंध में उक्त आराजी का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने का अंकन करते हुए प्रस्तुत कर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया कि प्रतिवादी हरीश द्वारा उक्त आराजी का कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यावसायिक प्रयोजन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी हरीश द्वारा किये जा रहे उक्त कार्य उपरोक्त आराजी के लिए अहितकर है, क्योंकि प्रतिवादी ने जिस प्रयोजनार्थ के लिए भूमि ली थीं, उससे भिन्न प्रयोजन में बिना किस्म परिवर्तित कराये कृषि भूमि से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ के रूप में उक्त आराजी का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। प्रतिवादी हरीश उपरोक्त आराजी से बेदखल का दायी है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त तथाकथित कथन सच्चाई से सर्वथा विपरीत है, क्योंकि प्रतिवादी हरीश द्वारा उक्त आराजी की किस्म परिवर्तित ही नहीं की गई हैं। तत्पश्चात उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त अनवान का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, किन्तु प्रतिवादी को वाद की दर्ज दिनांक 22.08.2014 से दिनांक 18.11.2019 तक कोई सम्मन तामील नहीं हुआ एवं दिनांक 18.11.2019 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। जिसके उपरान्त दिनांक 27.11.2019 को जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई एवं उसके तकरीबन एक माह बाद दिनांक 26.12.2019 को संशोधित निर्णय पारित किया गया। जिसकी जानकारी प्रतिवादी/अपीलांट को दिनांक 22.01.2020 को तब लगी, जब अपीलांट द्वारा ग्राम बांदनवाड़ी आने पर हल्का पटवारी से अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबंदी हेतु संपर्क करने पर हल्का पटवारी द्वारा जैर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दी गई। तदुपरांत अपीलांट द्वारा दिनांक 22.01.2020 को जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त कर अतिशीघ्र उक्त अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.11.2019 में अंकित है कि अप्रार्थी की तलबी हेतु प्रार्थी द्वारा सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक द्वारा दिनांक 08.06.2016 को भेजा गया जो एक माह से अधिक समय पर तामील माना जाता है और अप्रार्थी गैरहाजिर के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। जबकि अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर पेश नहीं किए गए, जिससे कि यह साबित होता हो कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त हुआ हों। उसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.06.2019 में तहसीलदार, आहोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्रेषित करने का अंकन किया गया है। ऐसी मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बिना अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के एकपक्षीय तरीके से प्रार्थी को नोटिस तामील होने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी गई। उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थी की अनुपस्थिति में तहसीलदार द्वारा एकतरफा तैयार की गई हैं। उक्त मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में आधार माना है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार आहोर द्वारा अपने वादपत्र को किसी तरह से साबित करने हेतु न तो स्वयं, न ही हल्का पटवारी, बांदनवाड़ी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए एवं न ही अन्य कोई साक्षी उपस्थित हुआ। तथा न ही ऐसे किसी दस्तावेजों या मौका रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाकर वाद को साबित किया, अर्थात् अप्रार्थी ने अपने वाद को किसी भी तरीके से साबित नहीं किया। इससे यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई हैं। जबकि कानूनन प्रार्थी को उक्त वाद में साक्ष्य–सबूत एवं गवाहान को पेश करने हेतु उचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर उक्त निर्णय पारित किया जाना था। अंततः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाए एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर, बिना साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर एवं तहसीलदार द्वारा बिना अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रदान किए, तैयार की गई एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों को दरकिनार कर उक्त विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गई हैं। जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें। इसके साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को विधिवत नोटिस तामील करवाए बिना एकपक्षीय तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकती। प्रार्थी दिनांक 22.01.2020 को ग्राम बांदनवाड़ी आकर हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल हेतु संपर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अंदर म्याद फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए अधीनस्थ एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 18.11.2019 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई थीं। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 व संशोधित निर्णय दिनांक 26.12.2019 अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। जिसकी निर्णय की दिनांक को ही अपीलांट को जानकारी हों, यह संभव नहीं हैं। अतः यह धारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 22.01.2020 को ही हुई हों। अतः विलंब सद्भाविक है। लिहाजा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसंगत होगा। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाया गया एवं अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। प्रकरण में वादपत्र को साबित करने के लिए तहसीलदार आहोर एवं हल्का पटवारी बांदनवाड़ी की साक्ष्य नहीं ली गई, न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्श करवाए गए। रेस्पोडेन्ट ने वाद को किसी तरह से साबित नहीं किया, इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण गुणावगुण पर पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमावें।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर द्वारा प्रतिवादी हरीश के विरूद्ध एक वादपत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 22.08.2014 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 18.11.2019 के अनुसार "अप्रार्थी की तलबी हेतु प्रार्थी द्वारा सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक द्वारा दिनांक 08.06.2016 को भेजा गया, जो एक माह से अधिक समय होने पर तामील माना जाता है। प्रार्थी गैर–हाजिर उनके विरूद्ध एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाही की जाती हैं। पत्रावली दिनांक 25.11.2019 को पेश हों।" पत्रावली पर प्रतिवादी को रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित सम्मन की प्रति पोस्टल रसीद के साथ उपलब्ध है, जिसके अनुसार प्रतिवादी को दिनांक 08.06.2016 को डाकघर आहोर से पंजीकृत डाक प्रेषित की गई। पंजीकृत डाक प्रेषक के पास लौटकर नहीं आने का तात्पर्य यह है कि वह संबंधित को डिलीवर हो गई है। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पंजीकृत डाक प्रेषित करने के 30 दिवस के पश्चात अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं, जो विधिसंगत है। अतः अपीलांट का यह कथन कि उस पर समुचित तामील किए बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, समर्थन एवं विश्वास योग्य नहीं हैं।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (1) के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली के लिए भूमिधारी तहसीलदार द्वारा उक्त धारा के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। धारा 177 (4) के अनुसार यदि खातेदार नोटिस पर अभिलिखित अवधि के भीतर उपस्थित होकर बेदखल किए जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय सुनकर भुगतान करने पर उस आवेदन पत्र को वादपत्र समझेगा एवं उस मामले पर उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में। तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर कोई न्यायालय शुल्क नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार धारा 177 (5) में निम्नानुसार प्रावधान है कि यदि उपरोक्त अनुसार खातेदार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है, किन्तु बेदखल किए जाने के दायित्व का विरोध नहीं करता है, तो न्यायालय आवेदन पत्र पर ऐसा आदेश देगा, जैसा वह उचित समझें।

5. हस्तगत प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार आहोर द्वारा सहायक कलक्टर आहोर के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 22.08.2014 को दर्ज होकर अपीलांट अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। आदेशिका दिनांक 18.11.2019 के अंकन अनुसार अप्रार्थी अपीलांट की तलबी हेतु प्रार्थी द्वारा पंजीकृत ए.डी. डाक से दिनांक 08.06.2016 को सम्मन प्रेषित करवाए गए। डाकघर आहोर की सम्मन की न्यायालय प्रति पर रसीद से भी इस तथ्य की पुष्टि होती हैं। तत्पश्चात दिनांक 18.11.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः अप्रार्थी बावजूद सूचना/तामील के अनुपस्थित रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय में उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र का विरोध नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण वादपत्र के रूप में नहीं कर, प्रार्थना पत्र के रूप में या धारा 177 (5) में विहित प्रावधान अनुसार अधीनस्थ न्यायालय जैसा उचित समझें, समुचित आदेश के साथ निस्तारण करने के लिए सक्षम होता है। अतः उक्त संबंध में अपीलांट की यह आपत्ति कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक आदि विरचित नहीं कर तथा उभयपक्ष की साक्ष्य आदि लिए बिना निस्तारण किया है, जो विधिसंगत नहीं हैं, का समर्थन नहीं किया जा सकता।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सशर्त पारित किया है, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

यह अंकित किया है कि धारा 178 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत यदि प्रतिवादी द्वारा 3 माह के भीतर नुकसान की पूर्ति कर दी जावें या नियमानुसार संपूर्ण संपरिवर्तन शुल्क राज्य सरकार को अदा कर दें, तो उक्त आदेश या डिक्री का निष्पादन नहीं किया जावें। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए अपीलांट खातेदार को पर्याप्त अवसर एवं विकल्प प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग ऑर्डर के साथ विधिक प्रक्रियाओं व प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि–विसंगतता या दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित नहीं होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने के कारण खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 79/2014 बअनवान सरकार बनाम हरीश में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 26.12.2019 को यथावत रखते हुए पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली